न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–78/2026
पुरनहिया थाना कांड संख्या–15/2026.
सरकार बनाम् कन्हैया राय व अन्य
अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 351(3), 109, 326(g), 74, 76, 3(5) of BNS.

सी.एन.आर.नं0–BRSO01000522-2026

01. कन्हैया राय, पिता–सीताराम राय, उम्र–41 वर्ष,
02. सुनील राय, पिता–सीताराम राय, उम्र–44 वर्ष,
03. सुधीर राय, सीताराम राय, उम्र–45 वर्ष,
सभी निवासी ग्राम–बसंत जगजीवन टोले मुसहरी, वार्ड नं0–11, थाना–पुरनहिया, जिला–शिवहर.....आवेदकगण।

बनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता –श्री मधुकान्त पाण्डेय।
सूचिका के निजी विद्वान अधिवक्ता –श्री नीरज कुमार तिवारी।
बिहार सरकार की ओर से विद्वान लोक अभियोजक –श्री सुरेश राय।

उपस्थितिः दीपक कुमार,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवहर।
26.03.2026

दिनांक–26.03.2026 **आदेश**

आवेदक अभियुक्तगण–01. कन्हैया राय, 02. सुनील राय एवं 03. सुधीर राय (तीनों अभियुक्तगण), जिनका मामला पुरनहिया थाना कांड संख्या–15/2026, अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 351(3), 109, 326(g), 74, 76, 3(5) of BNS. के लिए दर्ज किया गया है, में उनके द्वारा उक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की प्रत्याशा में अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिनको उनके सम्बद्व विद्वान अधिवक्ता श्री मधुकान्त पाण्डेय के द्वारा संचालित किया गया, जिस पर उनको एवं सूचिका की ओर से उनके निजी विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज कुमार तिवारी तथा अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री सुरेश राय को सुना गया।

अभियोजन का मामला परिवाद–पत्र आधारित प्राथमिकी के अनुसार संक्षेप में यह है कि–परिवादिनी बबीता देवी के घराड़ी जमीन को उसके ग्रामीण एवं पड़ोसी 01. कन्हैया राय, 02. सुनील राय एवं 03. सुधीर राय (तीनों अभियुक्तगण), जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच दिनांक–19.11.2025 को तीन बजे दिन में पंचायती भी हुआ था तथा दोनों तरफ से अमीन भी आये थे और दोनों पक्षों के बीच जमीन की नापी भी हुई, लेकिन अभियुक्तगण मानने को तैयार नहीं हुए एवं पंच एवं अमीन के सामने ही बोलने लगे कि किसी भी हाल में वे लोग परिवादिनी के घर को तोड़ देंगे। पंचगण एवं अमीन के जाने के बाद दिनांक–19.11.2025 को ही समय करीब छः बजे शाम में उक्त तीनों अभियुक्तगण परिवादिनी को गाली देने लगे तथा लप्पड़–थप्पड़ से मारपीट करने लगे और जब परिवादिनी को बचाने उसकी देयादिन पुनिता देवी एवं गीता देवी आई तो तीनों अभियुक्तगण उनलोगों के साथ भी मारपीट एवं गाली–गलौज करने लगे। कन्हैया राय एवं सुधीर राय मिलकर परिवादिनी का साड़ी खोल दिये, जिससे वह अर्द्वनग्न हो गई और तीनों अभियुक्तगण मिलकर परिवादिनी को पकड़कर पटक दिये तथा लात–मुक्का से काफी मारपीट किये, तब तक वहॉ गॉव–समाज के लोग आ गये, जिनके बीच–बचाव से परिवादिनी की जान एवं प्रतिष्ठा बची। उसी दिन दो बजे रात्रि में परिवादिनी एवं उनके परिवार के अन्य सदस्यगण खाना खाकर सोये हुए थे। परिवादिनी का घर, जिस पर फूस एवं पन्नी से छबवाया हुआ छप्पड़ है, घर के दक्षिण–पश्चिम वाल कोना में कमरा है, उस कमरा में परिवादिनी की बेटी शिवानी कुमारी और अलका कुमारी सोई थी, परिवादिनी के घर से सटा अभियुक्तगण का घर बन रहा है, अचानक घर के बगल में खड़खड़ाहट की आवाज पर परिवादिनी की बेटी शिवानी एवं अलका जाग गयी तथा खिड़की से देखी कि कन्हैया राय, सुधीर राय एवं सुनील राय (तीनों अभियुक्तगण) अपने घर के कुर्सी के पास खड़े थे तथा तीनों लोग मिलकर परिवादिनी के घर पर कुछ

लगातार/–

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–78/2026
पुरनहिया थाना कांड संख्या–15/2026.
सरकार बनाम् कन्हैया राय व अन्य
अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 351(3), 109, 326(g), 74, 76, 3(5) of BNS.

सी.एन.आर.नं0–BRSO01000522-2026

दिनांक–26.03.2026 **–2–**

छिड़क रहे थे, तभी परिवादिनी की बेटी अलका देखी कि सुधीर राय माचिस से घर के छप्पड़ में आग लगा दिया, जिससे परिवादिनी के घर का छप्पड़ जलने लगा। परिवादिनी की बेटी के हल्ला करने पर परिवादिनी एवं उसके परिवार के अन्य लोग जग गये तथा घर से निकलकर बाहर भागे तो देखे कि उक्त तीनों लोग परिवादिनी के घर में आग लगाकर वहॉ से भाग रहा था तथा अपने घर में जाकर छुप गया। गॉव–समाज के बहुत सारे लोग जुट गये तथा सभी मिलकर आगे बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक परिवादिनी का घर काफी जल गया था। परिवादिनी की बेटी माधुरी कुमारी अपने मोबाईल से 112 नम्बर पर पुलिस को खबर की, तब पुलिस वहॉ पहुॅची। पुलिस को सारी बात बताया गया तो पुलिस भी जले हुए घर का फोटो खींच कर ले गये तथा थाना पर शिकायत करने के लिए बोले, तब दिनांक–20.11.2025 को सुबह परिवादिनी पुरनहिया थाना जाकर लिखित आवेदन दी तथा अपना इलाज पिपराही अस्पताल में करायी। अभियुक्तगण परिवादिनी एवं उसके परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। आवेदन देने के पश्चात् परिवादिनी कई बार थाना पर गई, परन्तु प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया, तब दिनांक–01.12.2025 को परिवादिनी थानाध्यक्ष, पुरनहिया एवं आरक्षी अधीक्षक, शिवहर को ई–मेल के माध्यम से आवेदन भिजवायी, पर आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तब दिनांक–05.12.2025 को परिवादिनी आरक्षी अधीक्षक, शिवहर के समक्ष उपस्थित होकर घटना के संबंध में टंकित आवेदन दी तथा सारी बात बतायी, पर परिवादिनी के आवेदन पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर परिवादिनी के द्वारा न्यायालय के समक्ष परिवाद–पत्र दाखिल किया गया, जिसके आधार पर प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी दर्ज की गई। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया है।

अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदकगण की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई अग्रिम जमानत आवेदन किसी अन्य वरीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है और न ही लंबित है। आवेदकगण का पूर्व से कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। ग्रामीण गंदी राजनीति के कारण दुश्मनों के इशारे पर आवेदकगण को प्रस्तुत वाद में फंसाया गया है। उभय पक्षों के बीच जमीनी विवाद चल रहा है और उसी रंजिश के कारण अपराधिक दबाव डालने की नियत से प्रार्थीगण पर यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। आवेदक संख्या–03. बाहर नौकरी करते हैं, जिस संबंध में प्रमाण–पत्र दाखिल किया गया है। सरपंच, प्रखंड–पुरनहिया द्वारा भी प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है, जिसके अवलोकन से ज्ञात है कि दोनों पक्ष पट्टीदार है और जमीन का विवाद है, जिस संबंध में पंचायती हुई थी परन्तु सूचिका बबीता देवी नहीं मानी। आवेदकगण सक्षम जमानत बंध पत्र देने को तैयार है तथा उनके पलायन की कोई संभावना नही है। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जाये।

विद्वान लोक अभियोजक एवं सूचिका के निजी विद्वान अधिवक्ता आवेदक अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना। परिवाद–पत्र पर आधारित प्राथमिकी के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक–19.11.2025 की घटना के लिए दिनांक–03.01.2026 को परिवाद–पत्र काफी विलम्ब से दाखिल किया गया है, जिसके आधार पर प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी एवं वाद दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण–01. कन्हैया राय, 02. सुनील राय एवं 03. सुधीर राय (तीनों अभियुक्तगण), जो सूचिका के ग्रामीण, देयाद, पट्टीदार एवं पड़ोसी हैं, पर जमीनी विवाद को लेकर सूचिका एवं उनके परिवारजन के साथ गाली–गलौज, मार–पीट करने, सूचिका का साड़ी खोल देने एवं उसके घर में आग लगा देने की बात कही

लगातार/–

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–78/2026
पुरनहिया थाना कांड संख्या–15/2026.
सरकार बनाम् कन्हैया राय व अन्य
अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 351(3), 109, 326(g), 74, 76, 3(5) of BNS.

सी.एन.आर.नं0–BRSO01000522-2026

दिनांक–26.03.2026 **–3–**

जाती है। वाद दैनिकी की कंडिका–04. पर वादिनी का पुनःबयान है। कंडिका–05, 06 पर साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है, लेकिन ये दोनों साक्षी क्रमशः परिवादिनी के पति एवं भैसुर हैं। किसी भी स्वतंत्र साक्षी एवं कथित घटनास्थल के आस–पास के किसी अन्य साक्षी का बयान वाद दैनिकी पर उपलब्ध नहीं है। वाद दैनिकी की कंडिका–30 में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से विदित होता है कि थाना अभिलेख में आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्व इस कांड के अलावे पूर्व से कोई अन्य मामला दर्ज नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अन्य को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्तगण–01. कन्हैया राय, 02. सुनील राय एवं 03. सुधीर राय में से प्रत्येक को आदेश की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर सक्षम विद्वान न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करने या गिरफ्तार होने पर सम्बन्धित विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी के संतुष्टियोग्य मो0–10,000/–(दस हजार रूपया) के दो समान प्रतिभू एवं जमानत बंध–पत्र निष्पादित किये जाने पर धारा–482(2)बी0एन0एस0 के शर्त के साथ अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि–**आवेदक अभियुक्तगण (आवेदक अभियुक्त संख्या–03. सुधीर राय को छोड़कर, जो बाहर नौकरी करते हैं) सदेह रूप से प्रस्तुत वाद में अनुसंधान पूर्ण होने तक प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11:00 बजे पुरनहिया थाना में प्रस्तुत वाद के अनुसंधानकर्ता के समक्ष उपस्थित होंगे एंव अनुसंधान में सहयोग करेंगे और अनुसंधानकर्ता इस संबंध में उनकी हाजिरी रखेंगे।**

लेखापित एवं शुद्विकृत

ह0/–

प्रधान सत्र न्यायाधीश
शिवहर।
26.03.2026